



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर, एससी/एसटी एक्ट में 02 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹22,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जलालपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 47/06 धारा- 323, 504, भा०द०सं० व 3(1)10, एससी/एसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. बाला प्रसाद पुत्र स्वामी प्रसाद 2. देवेन्द्र पुत्र बालाप्रसाद नि०गण बीलपुर थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹22,000 के अर्थ दंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी
श्री विजय सिंह



विवेचक-
एसओ श्री साधूराम
यादव



पैरोकार- थाना जलालपुर
का० रवि कुमार